

२७, १९७० ई०

सं० ३८५५/१४-ख-२० (३०४)-६६-अधिसू. सं० ४०६३ (२) १४ अ. दिनांक ३० मार्च, १९६०/१२३ (२) १४-ख-६६, दिनांक ४ फरवरी, १९६७ तथा २३ (२) १४-ख-६० दिनांक २ मार्च, १९६७ का, संशोधन अनुसूची "क" में निर्दिष्ट भूमि को, इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट नं० १६, १९२७) के अधिनियमित वन वनों का प्रस्ताव किया गया था, और, उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिए उक्त ऐक्ट द्वारा निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गयी है; और, ऐसे दावे स्वीकार किये गये हैं, तथा अनुसूची "क" में दी गयी सीमा तक रियायतें दी गयी हैं; अतएव, अब, उपर्युक्त ऐक्ट की धारा २० के अधिकाधिकारों का प्रयोग करते राज्यपाल उक्त अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि को, दिनांक ११ मार्च, १९७१ से रक्षित वन घोषित करते हैं और यह भी विज्ञापित करते हैं कि उक्त अनुसूची "क" में उल्लिखित गांवों को, अनुसूची में दी गयी सीमा तक प्रकार और रियायतें, ऐसी गांवों में उक्त वनों के ऐसे भागों में और नियमों के अधिन जो समय-समय पर राज्य सरकारों द्वारा नियत किए जायें, बराबर मिलती रहेंगी।

सूची "क"  
जाफरा वेस्ट सुरक्षित वन  
स्थिति एबनफल ३८१२.८८ एकड़

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा प्लॉट नम्बर	क्षेत्रफल	सीमायें
१	२	३	४	५	६	७
बिजनौर	नजीबाबाद	नजीबाबाद	मोटाठ भाग	२५२/१ ✓	११ १८ ०	✓
				२६८ ✓	८ ११ ०	✓
				२७५ ✓	३७ ०० ०	✓
				२८७/१ ✓	३७ ०६ ०	✓
				३०५ और ३०६ ✓	१८० १२ ०	✓
				३०७-२-वि० ✓	१०६ ०० ०	✓
				३०८-२-वि० ✓	१४५ १५ ०	✓
				योग	११२५ ०२ ०	✓
				अवश्या	११२० ६६ एकड़	✓
				२६६ ✓	१५५ ०६ ०	✓
				३-वि० ✓	१३ ०३ ०	✓
				८ से १४ ✓	६८ ०३ ०	✓
				१४-वि० ✓	८६१ १५ ०	✓
				१६ ✓	२०७ १५ ०	✓
				योग	१३६६ ०५ ०	✓
अवश्या	८५३.६० एकड़	✓				
नजीबाबाद भाग	नजीबाबाद	नजीबाबाद	नजीबाबाद भाग	६४ ✓	१०५० ०२ ०	✓
				६५-१ भाग ✓	३३६ ०० ०	✓
				६६ से ६० ✓	५०२ १२ ०	✓
				६२-१ भाग ✓	३६८ १२ ०	✓
				६६ से ६५ ✓	३ ०१ ०	✓
६६-२ भाग ✓	१ १० ०	✓				
योग	२५५२ १० ०	✓				

प्रमाणिक वनाधिकारी  
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

Divisional Director  
Social Forestry Division

परियोजना निदेशक /Project Director  
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  
National Highways Authority of India  
पी०आई०यू० नजीबाबाद, जिला-बिजनौर (यू.पी.)  
PIU- Najibabad, Distt.-Bijnor (U.P.)

२७ जुलाई, १९५७ ई०

सं० १७६८/१४-ख--२०(१४८)-६६--वित्तिय संख्या बी-४०६३(२)/१४-ख, दिनांक ३० अगस्त, १९६०, सं० २३(२)५६/१४-ख-६६, दिनांक ४ फरवरी, १९६७ तथा सं० २३(२)८०/१४-ख-६७, दिनांक ५ जनवरी, १९६८ द्वारा, संलग्न अनुसूची "क" में निदिष्ट भूमि को, इन्डियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट संख्या १६, १९२७) के अधीन, रक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था;

और, उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिये उक्त ऐक्ट द्वारा निदिष्ट अवधि समाप्त हो गयी है;

और, ऐसे दावे स्वीकार किये गये हैं, तथा अनुसूची "ख" में दी गयी सीमा तक रियायतें दी गयी हैं ;

अतएव, अब, उपर्युक्त ऐक्ट की धारा २० के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते, राज्यपाल उक्त अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि को, दिनांक २१ जनवरी, १९७१ से रक्षित वन घोषित करने हैं और यह भी विज्ञापित करते हैं कि अनुसूची "ख" में उल्लिखित भागों को, अनुसूची में दी गई सीमा तक अधिकार और रियायतें, ऐसी क्रतुओं में, उक्त वनों के ऐसे भागों में और ऐसे नियमों के अधीन जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत किये जायें, बराबर मिलती रहेंगी :

अनुसूची "क"

जाकराबाद ईस्ट सुरक्षित वन

स्थिति एवं क्षेत्रफल

3171.83 एकड़

जिला	तहसील	परगना	खत	खसरा प्लॉट नम्बर	क्षेत्रफल	सोनार्य
१	२	३	४	५	६	७

बिजनौर	नजीबाबाद	नजीबाबाद	कौडिया (भाग)	बी०	बि०	बि०
				२२	३१	०
				२४	१२६	१७
				२६	३२८	१५
				३०-ए०	०	१२
				३१-मि०	४	०
				३२-मि० भाग	६७	१
				३२-मि० भाग	१६१	३
				३३	०	२
				योग ..	७१६	१०
						० अथवा ४४६.६६ एकड़

साईवाला (भाग)	४/१	४	१७	०
	५	१६	१६	०
	११ से १३	२१	५	०
	१४/१	६००	१५	०
	१५/३-मि० भाग	३२२	३	०
	१५/३-मि० भाग	१२	१४	०
	१६	४	२	०
	योग ..	६८५	१२	० अथवा ६१६.०० एकड़

परियोजना निदेशक / Project Director  
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  
National Highways Authority of India  
पी०आई०यू० नजीबाबाद, जिला-बिजनौर (यू.पी.)  
PIU- Najibabad, Distt.-Bijnor (U.P.)

प्रमाणित वनाधिकारी  
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

Divisional Director  
Social Forestry Division  
BIJNOR